Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 41-2016/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 17, 2016 (PHALGUNA 27, 1937 SAKA)

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 17th March, 2016

No. 21/3/2000-4 JJ(I).— In exercise of the powers conferred by under Sub-section (1) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor of Haryana hereby appoints the following officers posted in Jhajjar District as Executive Magistrates to cope with the requirement of maintenance of Law and Order in Jhajjar District during Jat Reservation agitation till closing of said agitation.

Executive Magistrate, Jhajjar

Sr. No.	Name & Designation of the officer
1.	Sh. Shreepal Rathi, Chief Executive Officer, Fisheries, Jhajjar.
2.	Sh. R.K. Ahlawat, District Horticulture Officer, Jhajjar.
3.	Sh. Manish Dabas, Dy. Director, Animal Husbandry, Jhajjar.
4.	Sh. Suresh Goria, Principal, DIET, Machhrouli.
5.	Sh. Jagjeet Sangwan, SDO (Agri.), Jhajjar.
6.	Sh. Jasbir Ahlawat, District Ayurvedic Officer, Jhajjar.
7.	Sh. Manish, SDE, CADA, Jhajjar.
8.	Sh. Balraj Singh, SDE, CADA, Jhajjar.
9.	Sh. Rajiv, GM, HSIIDC, Bahadurgarh.
10.	Sh.B.S. Chahel, RO, Pollution Control Board, Jhajjar.
11.	Sh. Nihal Singh, CEO, Cooperative Bank, Jhajjar.
12.	Sh. Kamal Mittal, District Statistical Officer, Jhajjar.
13.	Sh. Shamsher Khan, Estate Officer, Wakf Board, Jhajjar.
14.	Sh. Raj Kumar, DMEO, Jhajjar.
15.	Sh. Dharamraj, Secretary, Market Committee, Bahadurgarh.
16.	Sh. Sanjay Phogat, Secretary, Market Committee, Beri.

P. K. DAS,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Administration of Justice Department.

Chandigarh:
The 16th March, 2016.

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 17th March, 2016

No. 21/3/2000-4 JJ(I).— In exercise of the powers conferred by under Sub-section (1) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor of Haryana hereby appoints the following officers posted in Panipat District as Executive Magistrates to cope with the requirement of maintenance of Law and Order in Panipat District during Jat Reservation agitation till closing of said agitation.

Executive Magistrate, Panipat

Sr. No.	Name & Designation of the officer S/Sh.
1.	Pardeep Attri, Executive Engineer, PWD (B&R), Panipat.
2.	Suresh Kumar Saini, Executive Engineer, W/S Divn, Panipat.
3.	Rajesh Kaushik, Executive Engineer, Public Health Divn, No. 1 Panipat.
4.	S.S. Lohan, Executive Engineer, Public Health Divn, No. II, Panipat.
5.	Pankaj Dhawan, Executive, UHBVN, City Divn, Panipat.
6.	S.K. Chawla, Executive Engineer, UHBVN, Sub Urban Divn. Panipat.
7.	Suresh Bansal, Executive Engineer, UHBVN, Samalkha.
8.	N.D. Vashist, Superintending Engineer, Muncipal Corporation, Panipat.
9.	Vinod Nehra, Secretary, Muncipal Corporation, Panipat.
10.	Deepak Choudhary, Estate Officer, HUDA, Panipat.
11.	V.K. Beniwal, DETC (ST) Panipat.
12.	D.K. Ahuja, Xen, Huda Panipat.
13.	Mehtab Singh, GM Haryana Roadways, Panipat.

P. K. DAS,

Chandigarh:
The 17th March, 2016.

Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Administration of Justice Department.

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 मार्च, 2016

संख्या 11/6/2011–4 श्रम.– कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63), की धारा 66 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, मैसर्स होलीस्टर मैडिकल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट–27, सेक्टर–5, फेस–II, एच0एस0आई0आई0डी0सी0, ग्रोथ सैन्टर, बावल, रेवाड़ी, हरियाणा के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में अधिकथित सीमाओं को परिवर्तित करते हैं ताकि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रातः 7–00 बजे से रात्रि 10–00 बजे तक दो शिफ्टों में महिला कर्मकारों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियोजन प्राधिकृत किया जा सके, अर्थात् :–

1. किसी भी महिला कर्मकार से रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच कारखाने में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी अथवा उसे अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. किसी भी महिला कर्मकार से किसी भी दिन नौ घण्टे से अधिक और किसी भी सप्ताह में 48 घण्टों से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
3. किसी भी महिला कर्मकार को, जो रात्रि 10 बजे शिफ्ट समाप्ति पर काम करने से इन्कार करती है, तो उसे इस कारण से नियोजन से नहीं हटाया जायेगा अथवा अलग नहीं किया जायेगा।
4. किसी भी महिला कर्मकार को दूसरी शिफ्ट में कार्य करने के लिये अकेला नहीं लगाया जायेगा।
5. डाक्टर तथा महिला नर्स लगाते हुए, दूसरी शिफ्ट में महिला कर्मकारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।
6. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के साथ उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें लाने और वापस ले जाने वाले प्रत्येक वाहन पर महिला सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाएगा।
7. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के बच्चों के उपयोग के लिये क्रैच का रखरखाव करेगा।
8. साप्ताहिक अवकाश के बाद महिला कर्मकारों की शिफ्ट बदली जाएगी।
9. कम्पनी महिला कर्मकारों को उनके निवास स्थान से कारखाने तक लाने और वापस ले जाने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा की व्यवस्था करेगी जिन्हें रात्रि 10 बजे तक दूसरी शिफ्ट में कार्य के लिए बुलाया जाता है।
10. कारखाना की कैन्टीन में महिला कर्मकारों के लिए खाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि महिला कर्मकार दूसरी शिफ्ट के दौरान भोजन कर सके।
11. प्रबन्धक, विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान सरकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गये न्याय निर्णय दिनांक 13 अगस्त, 1997, (ए.आई.आर. 1997 सर्वोच्च न्यायालय–3011) के निर्देश के निबन्धनों के अनुसार महिला कर्मकारों के कार्य स्थल पर उनके यौन उत्पीड़न की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

शशि गुलाटी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Notification

The 17th March, 2016

No.11/6/2011-4lab.— In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948), the Governor of Haryana hereby varies the limits laid down in clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the said Act in respect of M/s Hollister Medical India Private Limited, Plot-27, Sector-5, Phase-II, HSIIDC, Growth Centre, Bawal, Rewari, Haryana so as to authorize the employment of women workers in two shifts from 7.00 a.m. to 10.00 p.m. for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette subject to the following conditions, namely:—

1. No woman worker shall be required or allowed to work in the factory between 10.00 p.m. to 6.00 a.m.
2. No woman worker shall be required or allowed to work for more than 9 hours in a day and 48 hours in a week.

3. No woman worker who declines to work in the factory in the time period between 7.00 p.m. to 10.00 p.m. shall be removed from employment or discriminated on this account.

4. No woman worker shall be engaged alone to work in the second shift.

5. The free medical facility by engaging a doctor and a female nurse shall be provided to the women workers in the second shift.

6. The occupier shall provide lady security guard to accompany the women workers on each transportation vehicle for their safety.

7. The occupier shall maintain a 'Creche' for the use of children of women workers.

8. The shift of women workers shall be changed after a weekly holiday.

9. The company shall provide free transport facility to women workers from their residence and back who are called to work in the second shift upto 10.00 p.m.

10. The arrangements for meal shall be made in the canteen of the factory so that the women workers can take their meals in the second shift.

11. The management shall ensure protection of women workers from sexual harassment at the work the place in terms of the directions of the Hon'ble Supreme Court in the case of Vishaka and others Vs State of Rajasthan *vide* judgement dated 13th August, 1997 (AIR 1997 Supreme Court-3011).

SHASHI GULATI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Labour Department.

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 मार्च, 2016

संख्या 11/8/2013–4 श्रम.– कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63), की धारा 66 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, मैसर्स एम0एम0टी0सी0 पैम्प इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, रोजका एम0ई0ओ0 इण्डिस्ट्रियल इस्टेट, तहसील नूँह, जिला मेवात, हरियाणा के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में अधिकथित सीमाओं को परिवर्तित करते हैं ताकि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रातः 7–00 बजे से रात्रि 10–00 बजे तक दो शिफ्टों में महिला कर्मकारों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियोजन प्राधिकृत किया जा सके, अर्थात् :–

1. किसी भी महिला कर्मकार से रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच कारखाने में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी अथवा उसे अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. किसी भी महिला कर्मकार से किसी भी दिन नौ घण्टे से अधिक और किसी भी सप्ताह में अड़तालीस घण्टों से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी अथवा उसे अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. किसी भी महिला कर्मकार को, जो रात्रि 10 बजे शिफ्ट समाप्ति पर काम करने से इन्कार करती है, तो उसे इस कारण से नियोजन से नहीं हटाया जायेगा अथवा अलग नहीं किया जायेगा।

4. किसी भी महिला कर्मकार को दूसरी शिफ्ट में कार्य करने के लिये अकेला नहीं लगाया जायेगा।

5. डाक्टर तथा महिला नर्स लगाते हुए, दूसरी शिफ्ट में महिला कर्मकारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।

6. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के साथ उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें लाने और वापस ले जाने वाले प्रत्येक वाहन पर महिला सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाएगा।

7. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के बच्चों के उपयोग के लिये क्रैच का रखरखाव करेगा।

8. साप्ताहिक अवकाश के बाद महिला कर्मकारों की शिफ्ट बदली जाएगी।

9. कम्पनी महिला कर्मकारों को उनके निवास स्थान से कारखाने तक लाने और वापस ले जाने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा की व्यवस्था करेगी जिन्हें रात्रि 10 बजे तक दूसरी शिफ्ट में कार्य के लिए बुलाया जाता है।

10. कारखाना की कैन्टीन में महिला कर्मकारों के लिए खाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि महिला कर्मकार दूसरी शिफ्ट के दौरान भोजन कर सके।

11. प्रबन्धक, विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान सरकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गये न्याय निर्णय दिनांक 13 अगस्त, 1997, (ए.आई.आर. 1997 सर्वोच्च न्यायालय–3011) के निर्देश के निबन्धनों के अनुसार महिला कर्मकारों के कार्य स्थल पर उनके यौन उत्पीड़न की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

शशि गुलाटी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Notification

The 17th March, 2016

No. 11/8/2013-4Lab.—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948), the Governor of Haryana hereby varies the limits laid down in clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the said Act in respect of M/s MMTC PAMP India Pvt. Ltd. Rojka-Meo Industrial Estate Tehsil Nuh, District Mewat, Haryana so as to authorize the employment of women workers in two shifts from in two shifts 7.00 a.m. to 10.00 p.m. for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette subject to the following conditions, namely:–

1. No woman worker shall be required or allowed to work in the factory between 10.00 p.m. to 6:00 a.m.
2. No woman worker shall be required or allowed to work for more than 9 hours in a day and 48 hours in a week.
3. No woman worker who declines to work during the period 7.00 p.m. to 10.00 p.m. shall be removed from employment or discriminated on this account.
4. No woman worker shall be engaged alone to work in the second shift.
5. The free medical facility by engaging a doctor and a female nurse shall be provided to the women workers in the second shift.
6. The occupier shall provide lady security guard to accompany the women workers on each transportation vehicle for their safety.
7. The occupier shall maintain a 'Creche' for the use of children of women workers.
8. The shift of women workers shall be changed after a weekly holiday.
9. The company shall provide free transport facility to women workers from their residence and back who are called to work in the second shift upto 10.00 p.m.
10. The arrangements for meal shall be made in the canteen of the factory so that the women workers can take their meals in the second shift.
11. The management shall ensure protection of women workers from sexual harassment at the work place in terms of the directions of the Hon'ble Supreme Court in the case of Vishaka and others *Vs* State of Rajasthan *vide* judgement dated 13th August, 1997 (AIR 1997 Supreme Court-3011).

SHASHI GULATI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Labour Department.

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 मार्च, 2016

संख्या 11/10/2012–4 श्रम.– कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63), की धारा 66 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, मैसर्स मैहले फिल्टर सिस्टमस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, 38वां माईलस्टोन, नेशनल हाइवे 8, बहरामपुर रोड खाण्डसा, गुड़गांव, हरियाणा के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में अधिकथित सीमाओं को परिवर्तित करते हैं ताकि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रातः 7–00 बजे से रात्रि 10–00 बजे तक दो शिफ्टों में महिला कर्मकारों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियोजन प्राधिकृत किया जा सके, अर्थात् :–

1. किसी भी महिला कर्मकार से रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच कारखाने में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी अथवा उसे अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. किसी भी महिला कर्मकार से किसी भी दिन नौ घण्टे से अधिक और किसी भी सप्ताह में अड़तालीस घण्टों से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
3. किसी भी महिला कर्मकार को, जो रात्रि 10 बजे शिफ्ट समाप्ति पर काम करने से इन्कार करती है, तो उसे इस कारण से नियोजन से नहीं हटाया जायेगा अथवा अलग नहीं किया जायेगा।
4. किसी भी महिला कर्मकार को दूसरी शिफ्ट में कार्य करने के लिये अकेला नहीं लगाया जायेगा।
5. डाक्टर तथा महिला नर्स लगाते हुए, दूसरी शिफ्ट में महिला कर्मकारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।
6. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के साथ उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें लाने और वापस ले जाने वाले प्रत्येक वाहन पर महिला सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाएगा।
7. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के बच्चों के उपयोग के लिये क्रैच का रखरखाव करेगा।
8. साप्ताहिक अवकाश के बाद महिला कर्मकारों की शिफ्ट बदली जाएगी।
9. कम्पनी महिला कर्मकारों को उनके निवास स्थान से कारखाने तक लाने और वापस ले जाने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा की व्यवस्था करेगी जिन्हें रात्रि 10 बजे तक दूसरी शिफ्ट में कार्य के लिए बुलाया जाता है।
10. कारखाना की कैन्टीन में महिला कर्मकारों के लिए खाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि महिला कर्मकार दूसरी शिफ्ट के दौरान भोजन कर सके।
11. प्रबन्धक, विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान सरकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गये न्याय निर्णय दिनांक 13 अगस्त, 1997, (ए.आई.आर. 1997 सर्वोच्च न्यायालय–3011) के निर्देश के निबन्धनों के अनुसार महिला कर्मकारों के कार्य स्थल पर उनके यौन उत्पीड़न की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

शशि गुलाटी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Notification

The 17th March, 2016

No. 11/10/2012-4Lab.— In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948), the Governor of Haryana hereby varies the limits laid down in clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the said Act in respect of *M/s* Mahle Filter Systems (India) Private Limited, 38th Milestone, National Highway 8, Behrampur Road, Khandsa, Gurgaon, Haryana so as to authorize the employment of women workers in two shifts from 7.00 a.m. to 10.00 p.m. for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette subject to the following conditions, namely:—

1. No woman worker shall be required or allowed to work in the factory between 10.00 p.m. to 6:00 a.m.
2. No woman worker shall be required or allowed to work for more than 9 hours in a day and 48 hours in a week.

3. No woman worker who declines to work in the factory in the time period between 7.00 pm to 10.00 pm shall be removed from employment or discriminated on this account.
4. No woman worker shall be engaged alone to work in the second shift.
5. The free medical facility by engaging a doctor and a female nurse shall be provided to the women workers in the second shift.
6. The occupier shall provide lady security guard to accompany the women workers on each transportation vehicle for their safety.
7. The occupier shall maintain a 'Creche' for the use of children of women workers.
8. The shift of women workers shall be changed after a weekly holiday.
9. The company shall provide free transport facility to women workers from their residence and back who are called to work in the second shift upto 10.00 p.m.
10. The arrangements for meal shall be made in the canteen of the factory so that the women workers can take their meals in the second shift.
11. The management shall ensure protection of women workers from sexual harassment at the work place in terms of the directions of the Hon'ble Supreme Court in the case of Vishaka and others *Vs* State of Rajasthan *vide* judgement dated 13th August, 1997 (AIR 1997 Supreme Court-3011).

SHASHI GULATI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Labour Department.

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 मार्च, 2016

संख्या 11/11/2011–4 श्रम.– कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63), की धारा 66 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, मैसर्स जेटैक्ट सोना ऑटोमोटीव इण्डिया लिमिटेड, प्लाट नं0 26, सेक्टर–5, फेस–II, ग्रोथ सैन्टर, बावल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में अधिकथित सीमाओं को परिवर्तित करते हैं ताकि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रातः 7–00 बजे से रात्रि 10–00 बजे तक दो शिफ्टों में महिला कर्मकारों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियोजन प्राधिकृत किया जा सके, अर्थात् :–

1. किसी भी महिला कर्मकार से रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच कारखाने में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी अथवा उसे अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. किसी भी महिला कर्मकार से किसी भी दिन नौ घण्टे से अधिक और किसी भी सप्ताह में अड़तालीस घण्टों से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी अथवा उसे अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. किसी भी महिला कर्मकार को, जो सायं 7 बजे से रात्रि 10 बजे की अवधि के दौरान काम करने से इन्कार करती है, तो उसे इस कारण से नियोजन से नहीं हटाया जायेगा अथवा अलग नहीं किया जायेगा।
4. किसी भी महिला कर्मकार को दूसरी शिफ्ट में कार्य करने के लिये अकेला नहीं लगाया जायेगा।
5. डाक्टर तथा महिला नर्स लगाते हुए, दूसरी शिफ्ट में महिला कर्मकारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
6. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के साथ उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें लाने और वापस ले जाने वाले प्रत्येक वाहन पर महिला सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाएगा।
7. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के बच्चों के उपयोग के लिये क्रैच का रखरखाव करेगा।
8. साप्ताहिक अवकाश के बाद महिला कर्मकारों की शिफ्ट बदली जाएगी।

9. कम्पनी महिला कर्मकारों को उनके निवास स्थान से कारखाने तक लाने और वापस ले जाने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा की व्यवस्था करेगी जिन्हें रात्रि 10 बजे तक दूसरी शिफ्ट में कार्य के लिए बुलाया जाता है।

10. कारखाना की कैन्टीन में महिला कर्मकारों के लिए खाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि महिला कर्मकार दूसरी शिफ्ट के दौरान भोजन कर सके।

11. प्रबन्धक, विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान सरकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गये न्याय निर्णय दिनांक 13 अगस्त, 1997, (ए.आई.आर. 1997 सर्वोच्च न्यायालय–3011) के निर्देश के निबन्धनों के अनुसार महिला कर्मकारों के कार्य स्थल पर उनके यौन उत्पीड़न की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

शशि गुलाटी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Notification

The 17th March, 2016

No. 11/11/2011-4Lab.— In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948), the Governor of Haryana hereby varies the limits laid down in clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the said Act in respect of *M/s.* JTEKT Sona Automotive India Ltd., Plot No. 26, Sector-5, Phase-II, Growth Centre Bawal, Distirct Rewari, Haryana so as to authorize the employment of women workers in two shifts from 7.00 a.m. to 10.00 p.m. for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette subject to the following conditions, namely:-

1. No woman worker shall be required or allowed to work in the factory between 10.00 p.m. to 6:00 a.m.
2. No woman worker shall be required or allowed to work for more than 9 hours in a day and 48 hours in a week.
3. No woman worker who declines to work during the period 7.00 p.m. to 10.00 p.m. shall be removed from employment or discriminated on this account.
4. No woman worker shall be engaged alone to work in the second shift.
5. The free medical facility by engaging a doctor and a female nurse shall be provided to the women workers in the second shift.
6. The occupier shall provide lady security guard to accompany the women workers on each transportation vehicle for their safety.
7. The occupier shall maintain a 'Creche' for the use of children of women workers.
8. The shift of women workers shall be changed after a weekly holiday.
9. The company shall provide free transport facility to women workers from their residence and back who are called to work in the second shift upto 10.00 p.m.
10. The arrangements for meal shall be made in the canteen of the factory so that the women workers can take their meals in the second shift.
11. The management shall ensure protection of women workers from sexual harassment at the work place in terms of the directions of the Hon'ble Supreme Court in the case of Vishaka and others *Vs* State of Rajasthan *vide* judgement dated 13th August, 1997 (AIR 1997 Supreme Court-3011).

SHASHI GULATI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Labour Department.

54163—C.S.—H.G.P., Chd.

Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

41-2016/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 17, 2016 (PHALGUNA 27, 1937 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 17th March, 2016

No. 9-HLA of 2016/11.— The East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Haryana Amendment Bill, 2016 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:–

Bill No. 9- HLA of 2016

THE EAST PUNJAB HOLDINGS (CONSOLIDATION AND PREVENTION OF FRAGMENTATION) HARYANA AMENDMENT

BILL, 2016

A

BILL

further to amend the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:–

Short title.

1. This Act may be called the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Haryana Amendment Act, 2016.

Amendment of Preamble to East Punjab Act 50 of 1948.

2. In the Preamble to the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (hereinafter called the principal Act,-

(i) after the words “fragmentation of agricultural holdings”, the words “and for any other development purpose on lands owned by the State Government or Government owned entities’’ shall be inserted; and

(ii) after the words “of the village”, the words “or villages” shall be added.

Amendment of section 14 of East Punjab Act 50 of 1948.

3. In sub-section (1) of section 14 of the principal Act, after the words "lands therein", the words "or for any other development purpose on lands owned by the State Government or Government owned entities" shall be inserted.

Amendment of section 19 of East Punjab Act 50 of 1948.

4. In sub-section (1) of section 19 of the principal Act, after the words "in the prescribed manner", the words "in consultation with the Gram Sabha and in presence of concerned Tehsildar and Block Development and Panchayat Officer" shall be inserted.

Amendment of section 36 of East Punjab Act 50 of 1948.

5. in section 36 of the principal Act, after the words "be varied or", the words "partially revoked or" shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The East Punjab Holdings (Consolidation & Prevention of Fragmentation) Act, 1948 was notified on 14th December, 1948. The consolidation work in most of the villages of Haryana was carried out from 1950 onwards. When the State came into existence in 1966, more than 80% of the villages had been consolidated under the provisions of the East Punjab Holdings (Consolidation & Prevention of Fragmentation) Act, 1948. Over a period of time due to better irrigation facilities the actual classification of land has undergone a sea change. During the last 15 years, the utilization of land in Haryana has undergone a sea change due to it's proximity to the National Capital, Delhi. Today 13 Districts of Haryana fall under the National Capital Region (NCR) on account of which the pressure on utilization of land for various purposes like residential, commercial and industrial has increased manifold leading to further fragmentation in the holdings. Keeping in view the above requirements, it is imperative that the Consolidation Act of 1948 is also amended suitably to meet the needs of the time.

So, in order to streamline the work of consolidation and to broaden the scope of consolidation, general amendments are required in the East Punjab Holdings (Consolidation & Prevention of Fragmentation) Act, 1948.

CAPTAIN ABHIMANYU,
Revenue Minister,
Haryana.

———————

Chandigarh:
The 17th March, 2016.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 9–एच.एल.ए.

पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम)
हरियाणा संशोधन विधेयक, 2016

पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम) अधिनियम, 1948, हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।

1948 के पूर्वी पंजाब अधिनियम 50 की प्रस्तावना का संशोधन।

2. पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम) अधिनियम, 1948 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की प्रस्तावना में,–

(i) "कृषि जोतों के खण्डकरण की रोकथाम हेतु" शब्दों के बाद, "तथा राज्य सरकार या सरकार की संस्थाओं के स्वामित्वाधीन भूमियों पर किसी अन्य विकास प्रयोजन के लिए," शब्द रखे जायेंगे; तथा

(ii) "गांव" शब्द के बाद, "या गांवों" शब्द रखे जाएंगे।

1948 के पूर्वी पंजाब अधिनियम 50 की धारा 14 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) में, "चकबन्दी के उद्देश्य से" शब्दों के बाद, "या राज्य सरकार या सरकार की संस्थाओं के स्वामित्वाधीन भूमियों पर किसी अन्य विकास प्रयोजन के लिए" शब्द रखे जायेंगे।

1948 के पूर्वी पंजाब अधिनियम 50 की धारा 19 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में "विहित रीति में" शब्दों के बाद, "ग्राम सभा के परामर्श से तथा सम्बद्ध तहसीलदार और खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी की उपस्थिति में" शब्द रखे जायेंगे।

1948 के पूर्वी पंजाब अधिनियम 50 की धारा 36 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 36 में, "परिवर्तित या" शब्दों के बाद, "आंशिक रूप से प्रतिसंहृत या" शब्द रखे जायेंगे।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा अपखण्डन निवारण) अधिनियम, 1948, 14 दिसम्बर, 1948 को अधिसूचित किया गया। हरियाणा के अधिकतर गांवों में चकबन्दी कार्य 1950 व उससे आगे तक किया गया। जब वर्ष 1966 में हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया तब तक 80 प्रतिशत से अधिक गांवों में पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा अपखण्डन निवारण) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत चकबन्दी कार्य पूर्ण हो चुका था। समय के साथ–साथ सिंचाई की अच्छी सुविधाओं के कारण भूमि के वास्तविक वर्गीकरण में बहुत अधिक परिवर्तन आया। पिछले 15 वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली के नजदीक होने के कारण हरियाणा में भूमि की उपयोगिता में बहुत अधिक परिवर्तन आया है। आज हरियाणा के 13 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ते हैं, जिसके कारण भूमि के विभिन्न उपयोगों जैसे आवासीय, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपयोगिता कई गुणा बढ़ गई, जिससे और अधिक भू–अपखण्डन हुआ है। उपरोक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि चकबन्दी अधिनियम, 1948 में भी समय की आवश्यकताओं अनुसार समुचित संशोधन किया जाना अनिवार्य है।

अतः चकबन्दी कार्य को सुचारु रूप देने तथा इसके क्षेत्र को बढ़ाने हेतु पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा अपखण्डन निवारण) अधिनियम, 1948 में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

कैप्टन अभिमन्यु,
राजस्व मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 17 मार्च, 2016.

आर० के० नांदल,
सचिव।

54164—H.V.S.—H.G.P., Chd.